इटावा पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 16.05.2026

#CRACKDOWN

- **मात्र 04 घण्टों के अन्दर नाबालिग बालिका से दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले आरोपी को इटावा पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ मे किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 01 सरकारी पिस्टल, 02 खोखा कारतूस तथा घटना से संबंधित महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य/वस्त्र बरामद।**

पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा श्री अभयनाथ त्रिपाठी के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी जसवंतनगर सुश्री आयुषी सिंह के नेतृत्व में थाना बढ़पुरा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

आज दिनांक 16.05.2026 को थाना बढ़पुरा पर सूचना प्राप्त हुयी कि वादिनी की 07 वर्षीय पुत्री को नितिन पुत्र प्रहलाद द्वारा बहला फुसला कर स्कूल के पास ले जाकर वादिनी की पुत्री के साथ गलत कार्य किया गया। सूचना पर तत्काल थाना बढ़पुरा पर **मु0अ0स0 41/2026 धारा 65(2) बीएनएस व धारा 5M/6 पोक्सो एक्ट** पंजीकृत किया गया।

नोट:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन मे घटना की गंभीरता के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा श्री अभयनाथ त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी जसवंतनगर सुश्री आयुषी सिंह द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना बढ़पुरा से पुलिस टीमों का गठन किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं थाना बढ़पुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 41/2026 से संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना बढ़पुरा पुलिस टीम थाना क्षेत्रान्तर्गत उदी चौराहे पर भ्रमणशील थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त ग्राम पूठन मोड पर कही जाने की फिराक में खड़ा हैं। पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर अभियुक्त नितिन पुत्र प्रहलाद को ग्राम पूठन मोड के पास पकड लिया गया।

पुलिस पूछताछ:-

पुलिस पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किया गया तथा घटना से संबंधित साक्ष्यों को छिपाने के उद्देश्य से उन्हें नारायण एक्सीलेंट स्कूल, ग्राम सभा कामेत नहर क्षेत्र के पास छिपाकर रखने की जानकारी दी गई।

अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस टीम जब उक्त स्थान पर साक्ष्य बरामदगी हेतु पहुंची, तभी अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर हमला करते हुए उपनिरीक्षक कुलदीप सिंह की सरकारी पिस्टल छीनकर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया तथा मौके पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी/पुलिस मुठभेड के संबंध मे थाना बढ़पुरा पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. नितिन पुत्र प्रहलाद निवासी ग्राम नगला अजीत थाना बढ़पुरा जनपद इटावा **उम्र करीब 22 वर्ष।**

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 41/2026 धारा 65(2) बीएनएस व धारा 5M/6 पोक्सो एक्ट थाना बढ़पुरा जनपद इटावा।

बरामदगीः-

1. 01 सरकारी पिस्टल
2. 02 खोखा कारतूस 09 MM
3. घटना से संबंधित महत्वपूर्ण वस्त्र/भौतिक साक्ष्य।

पुलिस टीमः- प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र मिश्रा थाना बढ़पुरा मय टीम।